उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–1
संख्या– 1709 / पांच–1–2016
लखनऊः दिनांकः 17 नवम्बर, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन हेतु बीमा कम्पनियों से निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु चिकित्सा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1721/पॉच –2011–4(109)/11 दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित निविदा आमंत्रित समिति में वित्त नियंत्रक (कोषाध्यक्ष), राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को एतद्द्वारा सदस्य नामित किया जाता है।

2– चिकित्सा अनुभाग–1 के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक–19.11.2011 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित निविदा आमंत्रित समिति द्वारा नियमानुसार निम्नलिखित कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा :–

1. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित निविदा अभिलेख के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर एवं स्थानीय स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशित कराना एवं निविदा अभिलेखों में अंकित निविदा प्रकिया की समय सारणी के अनुसार प्री बिड मीटिंग कराना।
2. बीमा सेवा प्रदाता सम्पनियों के प्रतिनिधियों के समक्ष तकनीकी निविदा खोलकर उसका तकनीकी दृष्टिकोण से परीक्षण कराना।
3. तकनीकी निविदा के परीक्षण के उपरान्त अर्ह बीमा सेवा प्रदाता कम्पनियों का निविदा अभिलेख में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार वित्तीय निविदा खुलवाकर तुलनात्मक तालिका के आधार पर न्यूनतम दर वाली बीमा सेवा प्रदाता कम्पनियों का कलस्टर वार चयन की संस्तुति (बैठक की कार्यवृत्त) ''निविदा स्वीकृति समिति'' (साधारण सभा) के माध्यम से निविदा का अनुमोदन प्राप्त करना।
4. निविदा स्वीकृत समिति की संस्तुति (बैठक की कार्यवृत्त) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रेषित करवाना।

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या–1709 (1)/पांच–1–2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, श्रम कल्याण, जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

7. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी/समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
9. सम्बन्धित अधिकारी।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0 पी0 सिंह)
उप सचिव।